फा० सं० 10(24)-ई III(बी)/60

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 अगस्त 1972

27 श्रावण 1894 (शक)

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का अन्य सरकारों, विभागों, कम्पनियों, निगमों, आदि को स्थानान्तरण - प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता ।

--

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय के दिनांक 4 मई 1961 के का० ज्ञा० सं० फा० 10(24)-ई III/60 के पैरा 1(V) के अनुसार प्रतिनियुक्ति पर गया कर्मचारी, प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में सामान्य नियमों के अन्तर्गत यथा निश्चित वेतन लेने अथवा मूल विभाग में अपने मूल वेतन और प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता लेने का विकल्प दे सकता है । यह भी व्यवस्था है कि स्वायत्त निकायों में प्रतिनियुक्ति के मामले में इस प्रयोजन के लिये सामान्य नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिये यह मान लिया जाय कि सरकारी नियम लागू होते हैं ।

2. इस सम्बन्ध में, एक शंका उठायी गयी है कि क्या सरकारी कर्मचारियों की सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों में, जो वेतन-निर्धारण के लिये अपने ही नियमों का पालन करते हैं, स्वीयेतर सेवा में प्रतिनियुक्ति के मामले में प्रतिनियुक्त सरकारी कर्मचारी के वेतनका, मूल नियमों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत नियमन होगा अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के नियमों के अनुसार होगा । यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को स्वीयेतर सेवा में सरकारी कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति के मामले में भी, यदि कोई सरकारी कर्मचारी,

(कृ० पृ० उ०)

प्रतिनियुक्ति के पद के वेतनमान में वेतन पाने का विकल्प देता है तो उस वेतन का नियमन मूल नियमों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, अथवा इस मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च 1964 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, जैसी स्थिति हो, किया जायगा ।

3. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के साथ परामर्श करके जारी किये गये हैं ।

कृपा सिंह

उप सचिव, भारत सरकार.

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय आदि ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित:-

1. नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली ।
2. संघ लोक सेवा आयोग ।
3. लोक सभा सचिवालय ।
4. राज्य सभा सचिवालय ।
5. निर्वाचन आयुक्त ।
6. वेतन आयोग ।
7. भारत का सर्वोच्च न्यायालय ।

--

(प,स,ब)